उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–1171/सत्तर–1–2014–20(13)/2006
लखनऊ : दिनांक : 20 नवम्बर, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–154/सत्तर–1–08–20(13)/2006 दिनांक 06 फरवरी, 2008 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त दिशा निर्देशों में कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1004/सत्तर–1–2013–20(13)/2006 दिनांक 14–8–2013 द्वारा संशोधन करते हुए निजी विश्वविद्यालय हेतु ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत न्यूनतम 100 एकड़ तथा नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत न्यूनतम 40 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि का मानक निर्धारित किया गया है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–1088/सत्तर–1–2013–20(13)/2006 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा यह प्राविधान किया गया है कि भूमि के बीच में यदि कोई सार्वजनिक सड़क, पब्लिक लिंक रोड/ग्राम सभा की चकरोड उक्त भूमि को विभाजित करती है तो उसे परस्पर सटी हुई ही माना जायेगा।

2– इक्कीसवीं शताब्दी में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में की जाने वाली अपेक्षाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि औद्योगिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की दृष्टि से उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा का वातावरण तैयार किया जाय। इस दिशा में निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित 'बेस्ट प्रैक्टिसेज' को अंगीकृत करते हुये ज्ञान के अंतरण, उसके संचयन तथा संवर्धन हेतु ठोस कदम उठाये जायें। इस दिशा में उच्च शिक्षा के विभिन्न घटकों, यथा–भूमि, भवन, फैकल्टी, पुस्तकालय, छात्रावास, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, नवीनतम टेक्नोलॉजी आदि का समन्वय इस प्रकार स्थापित किया जाय कि समय की आवश्यकता के अनुरूप हमें योग्य एवं विद्वान प्रोफेशनल तथा वैज्ञानिक प्राप्त हो सकें।

3– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित "प्रदेश के विकास के एजेण्डा" में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु नीति निर्धारण करते हुये शिक्षण संस्थाओं का विस्तार करने का उल्लेख किया गया है। भारत सरकार द्वारा लागू की गयी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा भी प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है, के अन्तर्गत निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में उच्च शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार तथा सुगठित शैक्षिक नियोजन और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'बेस्ट प्रैक्टिसेज' को अंगीकृत करने के उद्देश्य से वर्तमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों में संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

4. कार्यालय ज्ञाप संख्या–154/सत्तर–1–08–20(13)/2006 दिनांक 06 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–2.3 में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 26 बिन्दुओं पर सूचना देते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। उक्त 26 बिन्दुओं में से 26वें बिन्दु में यह उल्लेख किया गया है कि 'अन्य ऐसा विवरण जो कि विहित किये जायें'। अतः सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा उक्त 26वें बिन्दु के अन्तर्गत निम्नवत अतिरिक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों को विहित किया जाता है:–

(क)– <u>गवर्नेन्स रिफार्मस</u>

(1) विनियामक निकाय, यथा यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, एन0सी0टी0ई0, सी0सी0आई0एम0, एम0सी0आई0, बी0सी0आई0 इत्यादि के नियमों/मानकों का पालन किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालयों के सुचारू संचालन के दृष्टिकोण से कम से कम 4000 विद्यार्थियों को पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। यदि किसी महाविद्यालय को अपग्रेड कर विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा तो उसे विद्यार्थियों की संख्या 2000 से बढ़ा कर 4000 तक रखनी होगी ताकि विश्वविद्यालय अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रख सके।

(3) आन्तरिक प्रशासन संबंधी ढाँचा अत्यन्त सुदृढ़ होना चाहिए जिसमें एकेडमिक कौंसिल, बोर्ड ऑफ स्टडीज/फिनेंस काउंसिल एण्ड फाइनेंस कमेटीज यू0जी0सी0 के मानकों के अनुसार गठित की जानी चाहिए।

(4) यथेष्ट संख्या में प्रशासनिक स्टाफ होना चाहिए ताकि विश्वविद्यालय के क्रिया–कलापों का प्रबंधन किया जा सके। शिक्षक–शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का अनुपात 1:1.1 अथवा यू0जी0सी0 द्वारा जारी मार्ग–निर्देशक सिद्धान्तों के अनुरूप होना चाहिए।

(5) 'जेन्डर पैरिटी' स्थापित करने की दिशा में विशेष योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

(6) 'फ्यूचर कमिटमेंट' के रूप में विश्वविद्यालय को 'डिस्क्लोजर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क' का पालन करने हेतु सहमत होना चाहिए।

(7) विश्वविद्यालय द्वारा मैनेजमेन्ट इनफॉरमेशन सिस्टम (MIS) को प्रभावी किया जायेगा। मैनेजमेन्ट इनफॉरमेशन सिस्टम (MIS) एवं ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजूकेशन (AISHE) एकीकृत रूप से कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट का निर्माण करेंगे तथा उसे अद्यतन रखेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश, परीक्षा परिणाम, ट्रान्सक्रिप्ट आदि का कार्य ऑन–लाइन किया जायेगा।

(ख)– एकेडमिक रिफार्म्स

(1) विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों, यथा–आर्ट्स, साइंस, कामर्स, लॉ इत्यादि में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं का संचालन किया जाना चाहिए।

(2) टीचिंग एवं रिसर्च के अंतर्विभागीय कार्यक्रम संचालित किये जाने चाहिए।

(3) विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात 20:1 होना चाहिए परन्तु इसे 15:1 तक लाने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए।

(4) विश्वविद्यालय को मल्टी–डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय के रूप में कार्यरत होना चाहिए जिसमें इंटर–डिसिप्लिनरी तथा ट्रान्स–डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(5) 'इंस्टीट्यूशनल प्लान टेम्प्लेट', जिसमें 'क्वालिटी एण्ड रिसर्च इन्डेक्स' को महत्त्व दिया जाय, के आधार पर स्थापना के तीन वर्ष पश्चात् विश्वविद्यालय को स्वमूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(6) शिक्षा में आई0सी0टी0 को शामिल किया जाना चाहिए तथा विश्वविद्यालय में इंटरनेट की सुविधा हेतु वाई–फाई की सुविधा होनी चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। उच्च गुणवत्तायुक्त ई–रिसोर्सेज की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(7) विश्वविद्यालय को पोस्ट–ग्रेजुएट, एम0फिल0 तथा पीएच0डी0 की संख्या में वृद्धि का प्रयास करना चाहिए।

(8) संस्था का संचालन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स / गवर्निंग बाडी द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें एकेडेमिया, इंडस्ट्री एवं पब्लिक इन्टेलेक्चुअल्स को रखा जाना चाहिए।

(9) विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट के आधार पर कक्षाओं में प्रवेश लेना चाहिए।

(10) विश्वविद्यालय द्वारा 'प्रिंसिपिल आफ मिड–कोर्स असेस्मेंट एण्ड इवैल्यूवेशन' का पालन करने हेतु सहमत होना चाहिए।

(11) विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को 'मेटा यूनिवर्सिटी कन्सेप्ट' के अनुसार 'क्रास यूनिवर्सिटी एजुकेशन' और 'केडिट ट्रांसफर फैसिलिटी' की सुविधा देनी चाहिए।

(12) ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी को आकर्षित किया जा सके।

(13) फैकल्टी तथा विद्यार्थियों की 'एक्सपोजर विजिट्स' आयोजित करायी जानी चाहिए। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले शोध कार्यक्रमों में सहभागिता करेगा।

(14) प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा किसी एक 'कोर सब्जेक्ट' को प्राथमिकता देते हुये उसे भली–भांति स्थापित एवं विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(15) विश्वविद्यालय द्वारा नैक (NAAC) मूल्यांकन कराने का प्रयास किया जायेगा।

(16) विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा समय–समय पर परीक्षा सम्बन्धी सुधारों को लागू किया जायेगा।

(17) विश्वविद्यालय द्वारा, शिक्षकों की शिक्षण–गुणवत्ता एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षकों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रशिक्षणों में भेजने का प्रयास करना चाहिये।

(18) विश्वविद्यालय द्वारा, अध्ययन पूर्ण होने के पश्चात विद्यार्थियों को 'प्लेसमेन्ट' उपलब्ध कराने हेतु 'साफ्ट स्किल ट्रेनिंग' प्रदान की जायेगी तथा 'प्लेसमेन्ट सेल' की स्थापना की जायेगी।

(19) विश्वविद्यालय द्वारा शोध कार्यक्रमों का विस्तार किया जायेगा तथा शोध कार्यों पर बल दिया जायेगा।

(20) विश्वविद्यालय शिक्षा के अभिनवीकरण (Innovations) की दिशा में कार्य करेगा।

(ग)-- <u>इन्फ्रास्ट्रक्चर रिफार्मस</u>

(1) विश्वविद्यालयों में छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुये यथेष्ट पुस्तकालय, छात्रावास, प्रयोगशाला, आई०सी०टी० तथा खेल–कूद सम्बन्धी सुविधायें होनी चाहिए।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा भवनों को विकलांग फ्रेण्डली बनाया जाना चाहिए ताकि विकलांग विद्यार्थियों द्वारा उन भवनों का सुविधा पूर्वक प्रयोग किया जा सके। विकलांग विद्यार्थियों के उपयोगार्थ विशिष्ट सुविधायें तथा उपकरण उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

(3) छात्राओं के लिये यथेष्ट छात्रावास तथा टायलेट की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

(4) प्रत्येक विद्यार्थी के सुविधापूर्ण अध्ययन की दृष्टि से यथेष्ट संख्या में कक्षायें, प्रयोगशालाएं तथा पुस्तकालय होने चाहिए।

(6) विश्वविद्यालय द्वारा यथेष्ट आकार के अध्ययन कक्षों का निर्माण कराया जायेगा ताकि विद्यार्थियों के बैठने की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो सके।

5— अतः एतद्द्वारा निजी निवेशकर्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–154/सत्तर–1–08–20(13)/2006 दिनांक 06 फरवरी, 2008, कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1004/सत्तर–1–2013–20(13)/2006 दिनांक 14–8–2013 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–1088/सत्तर–1–2013–20(13)/2006 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के साथ–साथ उपर्युक्त निर्देशों का समावेश प्रोजेक्ट रिपोर्ट में करते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु संलग्न प्रपत्र पर शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाय ताकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर विचार करके राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सके।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या–1171(1)/सत्तर–1–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, राजभवन, उ0प्र0।
5. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 (भारत)।
6. सचिव, एसोसिएशन आफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज, फिरोजशाह कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002
7. सदस्य सचिव, बार कौंसिल आफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू, इर्दुधर मार्ग, नई दिल्ली–110002
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
9. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
10. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
11. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ–226001
12. समस्त अधिकारी/अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(बी0 बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–1171/सत्तर–1–2014–20(13)/2006 दिनांक–20 नवम्बर, 2014 के अन्तर्गत शपथ–पत्र का प्रारूप :–

शपथ–पत्र

प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

मैं श्रीमती/श्री/कु0.....संचालक/निदेशक/अध्यक्ष.....(प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम) निम्नवत् सशपथ बयान करता हूँ:–

1. कि (सोसायटी, ट्रस्ट या कम्पनी का नाम) द्वारा (विश्वविद्यालय का नाम) की स्थापना (स्थान का नाम) में किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या–1171/सत्तर–1–2014–20(13)/2006 दिनांक–20 नवम्बर, 2014में उल्लिखित गवर्नेन्स रिफार्म्स, एकेडमिक रिफार्म्स तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर रिफार्म्स के सभी बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी तथा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. यह कि यदि विश्वविद्यालय उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षर,
शपथी